MR. SPEAKER: I am calling him also.

Now, Shri Ramji Lal Suman to speak.

Title: Request to adopt proper security measures for fire control in Ordinance Depots.

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, अप्रैल 2000 में भरतपुर के आयुध डिपो में आग लगी थी और उसमें 393 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था, मई 28, 2000 को कानपुर के आयुध डिपो में आग लगी थी, अप्रैल 2001 को पठानकोट के आयुध डिपो में आग लगी और गंगानगर जिले के सूरतगढ़ के आयुध डिपो में आग लगी तथा उससे हजारों गांव प्रभावित हुए। अब जून 2001 में शकूरबस्ती के आयुध डिपो में आग लगी है। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है। जब भरतपुर के आयुध डिपो में आग लगी थी तो आपने नियम 193 के अधीन इस पर चर्चा कराया जाना सुनिश्चित किया था। इसके बाद इन विभिन्न स्थानों पर आग लगी। ये द्वितीय विश्वयुद्ध के जमाने के आयुध डिपो हैं और सबसे गंभीर बात यह है कि वर्ा 2001 में चार हजार करोड़ रुपया इन आयुध भंडारों के आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने खर्च करने का प्रावधान किया था लेकिन वह पैसा खर्च नहीं किया गया है। अब केवल 30 प्रतिशत आयुध भंडार ही सुरक्षित हैं और शेा खुले पड़े हैं। ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भी ये भंडार सुरक्षित नहीं हैं। भरतपुर आयुध डिपो में आग लगने के बाद सी.बी.सुकु कमेटी बनी और उसकी रिपोर्ट आ गयी है तथा उस रिपोर्ट का प्रकाशित किया जाना आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि नियम 193 के अधीन इस पर चर्चा कराई जाए।